

कथन — संदीप धामेजानी

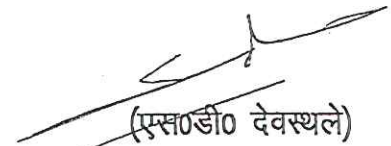
थाना	—	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध क्रमांक	—	09/2015
धारा	—	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	—	संदीप धामेजानी पिता श्री नानकराम धामेजानी
उम्र	—	31 वर्ष
पता	—	गंजरोड़, सिन्धि गुरुद्वारा के पास, नवापारा-राजिम, जिला रायपुर (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	—	98268-03444
व्यवसाय	—	संचालक, हरीओम इन्डस्ट्रीज, पितईबंद, राजिम जिला गरियाबंद (छ0ग0)

—00—

मैं संदीप धामेजानी पूछे जाने पर बता रहा हूं कि मैं श्री हरीओम इन्डस्ट्रीज, पितईबंद, राजिम का संचालक हूं। मैं इस राईस मिल को शिवशंकर राईस मिल के श्रीमती सत्यभामा अंसारी से नवम्बर 2011 से 15 हजार रुपये प्रति माह लीज पर लेकर चला रहा हूं। इस राईस मिल की क्षमता 04 टन धान प्रति घंटे की है। मेरा मार्कफेड से वर्ष 2014-15 में 15 हजार टन धान का अनुबंध है, पिछले वर्ष 2013-14 में 10 हजार टन धान के कस्टम मिलिंग का अनुबंध था। राजिम में क्वालिटी इंस्पेक्टर महेन्द्र साहू है तथा गरियाबंद में जिला प्रबंधक श्री मोतीलाल साहू है। राजिम में नान के शासकीय एवं निजी सहित 12-13 गोदाम हैं। राजिम में 09 राईस मिल है। राजिम के गोदामों में स्पेश नहीं होने पर चावल को मैनपुर एवं गरियाबंद में नान के गोदामों में ले जाते हैं, जिसका परिवहन व्यय मार्कफेड द्वारा भुगतान किया जाता है। चावल का अनलोडिंग और स्टेकिंग के लिये हमालों को 1800 से 2100रु. प्रति लॉट उनके ग्रुप के मुखिया को भुगतान करते हैं। वर्ष 2014-15 में मेरा 07 लॉट चावल अमानक स्तर के होने की वजह बताकर रिजेक्ट कर दिया है। नान के अधिकारी/कर्मचारी पैसा कलेक्शन का दबाव बनाये रखने के लिये मानक स्तर के चावल को रिजेक्ट कर देते हैं। वे लोग स्पेश बनाने, तत्काल चावल अनलोडिंग करने एवं सुविधा देने तथा क्वालिटी में समझौता करने के नाम पर 08रु. प्रति क्विंटल के हिसाब से मांग करते हैं। उक्त रकम न देने पर उनके द्वारा मानक स्तर के चावल होने पर भी रिजेक्ट कर देते हैं तथा स्पेश नहीं बनाते एवं तुरन्त एंट्री नहीं करते हैं। यही मेरा कथन है।

दिनांक 07.04.2015




(एस0डी0 देवस्थले)

निरीक्षक

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ़